

कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग,  
सिहावा भवन, सिविल लाईन, छत्तीसगढ़, रायपुर

**विभाग में तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) अभियाना अमीन पदों पर नियुक्ति हेतु चयन परीक्षा॥**

**:: विज्ञापन ::**

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक एफ—९—०१/३१/स्था/२०१६ दिनांक २०.१२.२०१६ एवं समसंख्यक दिनांक २३.१२.२०१६ के द्वारा जल संसाधन विभाग में नियुक्ति/भर्ती के लिए तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) अभियाना अमीन के २२७ स्वीकृत पद को छत्तीसगढ़ जल संसाधन (अराजपत्रित तकनीकी) सेवा भर्ती नियमों के प्रावधान एवं राज्य शासन द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा भरे जाने के निर्देश है। सीधी भर्ती तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) अभियाना, अमीन राज्य स्तरीय निम्नलिखित पद संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु उम्मीदवारों से व्यापम द्वारा निर्धारित ओ.एम.आर. आवेदन पत्र दिनांक ०६.०२.२०१७ से १७.०२.२०१७ तक आमंत्रित किये जाते हैं।

**रिक्त पदों का विवरण**

स. क्र.	पदनाम	(अ) कुल रिक्त पद संख्या					(ब) कॉलम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या					(स) कॉलम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों की संख्या				
		अना.	अजा	अजज T.	अपिव	योग	अना	अजा	अज जा.	अपिव.	योग	अना.	अजा	अज जा	अपिव.	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	अमीन (बैकलाग) पद	—	25	26	—	51	—	08	08	—	16	—	03	03	—	06
2	अमीन (नियमित) पद	74	21	56	25	176	22	06	17	08	53	07	02	06	03	18
	योग:—	<b>74</b>	<b>46</b>	<b>82</b>	<b>25</b>	<b>227</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>25</b>	<b>08</b>	<b>69</b>	<b>07</b>	<b>05</b>	<b>09</b>	<b>03</b>	<b>24</b>

स. क्र.	पदनाम	(द) कॉलम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से मुक्त वर्ग के लिए पदों की संख्या				
		अना.	अजा.	अजजा.	अपिव.	योग
		18	19	20	21	22
1	अमीन (बैकलाग) पद	—	14	15	—	29
2	अमीन (नियमित) पद	45	13	33	14	105
	योग:—	<b>45</b>	<b>27</b>	<b>48</b>	<b>14</b>	<b>134</b>

## भाग – अ

1. परीक्षा की तिथि – दि. 05 मार्च 2017 (रविवार)
2. परीक्षा का समय – पूर्वान्ह 10.00 से 1.15 बजे तक
3. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि – दि 06.02.2017 (सोमवार)
- ऑनलाईन आवेदन पत्र भरकर ऑनलाईन परीक्षा शुल्क भरने की अंतिम तिथि – दि. 16.02.2017 (गुरुवार) रात्रि 11.59 तक
- ऑनलाईन आवेदन कर ऑफलाईन पेमेंट हेतु SBI Bank के चालान प्राप्त करने की अंतिम तिथि – दि. 17.02.2017 (शुक्रवार) सायं 5.00 बजे तक
- ऑफलाईन (SBI Bank) से प्राप्त चालान द्वारा भुगतान की अंतिम तिथि – दि. 18.02.2017 (शनिवार) बैंक कार्यालयीन समय तक
4. परीक्षा केन्द्र – प्रदेश के 16 जिलों में :-  
सरगुजा (अंबिकापुर), कोरिया (बैकुंठपुर), बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, बस्तर (जगदलपुर), जांजगीर-चांपा, जशपुर, कांकेर, कबीरधाम, कोरबा, महामसुंद, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव
5. परीक्षा शुल्क – परीक्षा शुल्क निम्नानुसार देय होगा –
- |                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| सामान्य वर्ग                    | – 350/- |
| अन्य पिछड़ा वर्ग                | – 250/- |
| अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति | – 200/- |

### विज्ञापित किये जाने वाले पदों का वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता :-

संक्र.	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या				योग
			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अमीन (बैकलाग) पद	5200—20200/- + ग्रेड वेतन 2200/-	25	26	—	—	51
2	अमीन (नियमित) पद	5200—20200/- + ग्रेड वेतन 2200/-	21	56	25	74	176
		योग	46	82	25	74	227

#### 1. अमीन पद की शैक्षणिक योग्यता :-

- (1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण
- (2) चयन के पश्चात् छ: माह के प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यार्थियों को अधिमान्यता दी जायेगी।

#### 2. भर्ती का तरीका –

- (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् :-
- (क) प्रतियोगी परीक्षा या चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा
  - (ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा
  - (ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हो जैसा कि निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए.
- (2) उपनियम (1) के खण्ड (क) (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या अनुसूची—एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के अनुसूची—दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

- (3) इन नियमों के उपबन्धों के अधीन के अध्याधीन रहते हुए भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा में किसी भी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरे जाने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकार के परामर्श से अवधारित की जायगी।
- (4) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो वह शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़, जिनको उक्त उप-नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करें।
- (5) मेरिट के आधार पर चयन के माध्यम से सीधी भरती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए मापदण्ड शासन द्वारा विहित किये जायेंगे, तथापि नियुक्ति प्राधिकारी के लिए आवश्यक होगा कि वह इस प्रयोजन के लिए एक चयन समिति गठित करें, जो इन मापदण्डों से भिन्न कोई अन्य युक्तिसंगत मापदण्ड शासन की सहमति से अपना सकेगी।
- (6) सेवा में भरती के समय छ.ग. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश (यथा संशोधनी) लागू होंगे।

**3. सेवा में नियुक्ति** – इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 2 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं।

**4. सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्त** – सीधी भर्ती/चयन हेतु पात्र होने के लिए अभ्यार्थी को<sup>४</sup> निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी अर्थात्:-

**(एक) आयु** –

- (क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को, अनुसूची-तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो, तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी ना की हो।
- (ख) यदि अभ्यार्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रिमीलेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम-1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यार्थियों के लिए उच्चतर आयु-सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (घ) उन अभ्यार्थियों के संबंध में भी जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी है अथवा रह चुके हैं नीचे निविर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्याधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी :–
- (एक) ऐसा अभ्यार्थी जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये।
- (दो) ऐसा अभ्यार्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए यह रियायत आक्रियकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(तीन) ऐसे अर्थार्थी जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा परंतु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो।

**स्पष्टीकरण –** शब्द “छटनी किये गये शासकीय सेवक” से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्ही भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरन्तर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व पदस्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ङ) ऐसा अभ्यार्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा परन्तु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

**स्पष्टीकरण –** शब्द “भूतपूर्व सैनिक” से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के द्वारा कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरन्तर नियोजित रहा हो, तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो, अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो अर्थात –

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो और जिन्हें –

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर

(ख) नामांकन की शर्त पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक।

(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी समिलित हैं)।

(पांच) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर 6 माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो

(छै:) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो।

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवान्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं।

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, धाव, आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीन कार्ड धारक अभ्यार्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 02 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) अस्पृश्यता निवारण नियम 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सर्वां पति/पत्नि के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान एवं महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त अर्थार्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यार्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

- (झ) ऐसे अभ्यार्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ राज्य/निगम/मण्डल के कर्मचारी है उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।
- (ञ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा पूर्व में इस प्रकार की गयी नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में 08 वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए छूट दी जायेगी किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- टीप – (1)** ऐसे अभ्यार्थी जिन्हें उपरोक्त नियम 4 के खण्ड (घ) के उपखण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छटनी कर दी जाती है तो वे पात्र बने रहेंगे।
- (2)** किसी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेगी। विभागीय अभ्यार्थी को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।
- (ट) अभ्यार्थी जिन्हें उनके संवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/विधवा/तलाकशुदा इत्यादि) के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त हो रहा है को अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध अतिरिक्त छूट यथावत मिलती रहेगी, किन्तु उपरोक्त उल्लेखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के अधीन आयु में छूट प्राप्त करने के उपरांत भी अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (ठ) उपरोक्त के अतिरिक्त आयु सीमा के संबंध में शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।
- (दो) **शैक्षणिक अर्हताएं –** अभ्यार्थी के पास सेवा के लिए विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए, जैसे कि अनुसूची–तीन में दर्शित हैं।
- (तीन) शुल्क –**
- (क) अभ्यार्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।
- (ख) ऐसे अभ्यार्थी जो चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होने के लिए अपेक्षित किये गये हों को स्वस्थ्य परीक्षा के पूर्व चिकित्सा मण्डल के अध्यक्ष को शासन द्वारा यथा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

## 5. निरहता –

- (1) अभ्यार्थी की ओर से अपनी अभ्यार्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए निरहित माना जा सकेगा।
- (2) कोई भी पुरुष अभ्यार्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यार्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी।  
परंतु यदि शासन का यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के विशेष कारण है तो शासन ऐसे अभ्यार्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।
- (3) कोई भी अभ्यार्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि उसे ऐसी स्वस्थ्य परीक्षा में जैसा कि विहित किया जाये, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ्य तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो, से मुक्त घोषित न कर दिया जाये।  
परंतु आपवादिक मामलों में, अभ्यार्थी को उसकी स्वस्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थाई नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है तो उसकी सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
- (4) कोई भी अभ्यार्थी किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी सम्यक जांच जैसे कि आवश्यक समझे के पश्चात् या समाधान हो जाये कि वह (अभ्यार्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

- (5) कोई भी अभ्यार्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।  
परंतु यदि किसी अभ्यार्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लम्बित हो, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लम्बित रखा जायेगा जब तक कि उस आपराधिक मामले को न्यायालय द्वारा अंतिम रूप में अवधारित न कर दिया जाये।
- (6) कोई भी अभ्यार्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।
- (7) कोई भी अभ्यार्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परंतु कोई भी अभ्यार्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरहित नहीं होगा।

## 6. अभ्यार्थियों की पात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा –

- (1) चयन हेतु अथ्यार्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यार्थी को जिसे व्यापम द्वारा प्रवेश-पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (2) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के पश्चात् भी यदि नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यार्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पाई गई है तो वह निरहित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

## 7. प्रतियोगी परीक्षा/चयन/साक्षात्कार द्वारा सीधी भरती –

- (1) प्रतियोगी परीक्षा/चयन/साक्षात्कार द्वारा सीधी भरती :–
- (एक) नियुक्ति प्राधिकारी एक चयन समिति गठित करेगा, जिसमें अनुसूची-तीन के कॉलम (6) में उल्लेखित अनुसार तीन सदस्य सम्मिलित होंगे।
  - (दो) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अंतरालों पर आयोजित की जायेगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी शासन के परामर्श से समय-समय पर अवधारित करें।
  - (तीन) परीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार चयन समिति द्वारा आयोजित की जायेगी।
- (2) सेवा में भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंध तथा इस अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।
- (3) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय ऐसे अभ्यार्थी जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के सदस्य हैं की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 8 में निर्दिष्ट सूची में आये हो चाहे अन्य अभ्यार्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित रेंक कुछ भी क्यों न हो।
- (4) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों (गैर-क्रिमीलेयर) से संबंधित उन अभ्यार्थियों, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति के लिए पात्र घोषित किया गया हो, उपनियम (3) के अनुसार यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रिमीलेयर) के अभ्यार्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।
- (5) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम-1997 के उपबंधों के अनुसार 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यार्थियों के लिए आरक्षित रखे जायेंगे। यह आरक्षण समस्तर एवं प्रभागवार होगा।

- (6) ऐसे मामलों में जहाँ सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाये कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों (गैर-क्रिमीलेयर) से संबंधित अभ्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों (गैर-क्रिमीलेयर) के अभ्यार्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।
- (7) उपरोक्त के अतिरिक्त निःशक्त व्यक्तियों तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार पदों को आरक्षित रखा जायेगा।

8. छ.ग. शासन, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के अधिसूचना क्रमांक एफ 1-21/2014/सक/26 दिनांक 25 सितंबर 2014 के प्रावधानानुसार तृतीय श्रेणी निःशक्तता से ग्रसित व्यक्तियों के लिये चिन्हांकित किये गये पदों की सूची के सरल क्रमांक 148 में अमीन पद को चुनौतीपूर्ण एवं मैदानी कार्य होने के कारण निःशक्तता अमान्य किये जाने के कारण विज्ञापित पदों हेतु दिव्यांग (निःशक्तजन) पात्र नहीं होंगे।

#### 9. समिति द्वारा अनुशंसित अभ्यार्थियों की सूची –

- (1) समिति, उन अभ्यार्थियों की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हो, जैसा कि चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों (गैर-क्रिमीलेयर) से संबंधित उन अभ्यार्थियों की एक सूची जो उस स्तर से अर्हित नहीं है किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों, तथा महिला, निःशक्त व्यक्ति/भूतपूर्व सैनिक से संबंधित प्रत्येक प्रवर्ग के अभ्यार्थियों की एक सूची, जो आरक्षण के फलस्वरूप ऐसे स्तर से अर्हित हो मैरिट क्रम में तैयार करेगी तथा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेंगी तथा उक्त सूची की वैधता नियुक्ति प्राधिकारी को नियुक्ति हेतु सूची भेजे जाने की तारीख से एक वर्ष की होगी।
- (2) उपरोक्त उल्लेखित प्रत्येक प्रवर्ग के लिए चयन समिति एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार करेगी जिसमें न्यूनतम एक नाम तथा रिक्त पदों के अधिकतम 25 प्रतिशत तक नाम सम्मिलित होंगे। सूची की वैधता चयन सूची के जारी किये जाने की तारीख से डेढ वर्ष होगी।
- (3) उपनियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयारी की गई सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जायेगी।
- (4) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम-1961 के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए अभ्यार्थियों पर उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।
- (5) सूची में किसी अभ्यार्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिए कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी की वह आवश्यक समझे यह समाधान न हो जाये कि अभ्यार्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।
- (6) कोई अभ्यार्थी जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो के वैधता अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने या त्याग पत्र देने या किन्हीं अन्य कारणों से योग्य न पाये जाने पर या वैधता अवधि के दौरान चयनित अभ्यार्थी की मृत्यु हो जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रतीक्षा सूची से अभ्यार्थियों के नाम नियुक्ति हेतु अनुशंसित किये जा सकेंगे।

#### 10. चयन की प्रक्रिया :-

- उपरोक्त पद पर चयन प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा किया जावेगा, जो व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा आयोजित की जावेगी।
- समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यार्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकार वरीयता प्रदान की जायेगी, जिन अभ्यार्थियों की जन्मतिथि पहले होगी उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
- चयन हेतु अभ्यार्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिविल लाईन, रायपुर को होगा।

4. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. चयनित उम्मीदवार को पुलिस छेरीफिकेशन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य संबंधी सक्षमता फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सेवा में लिया जाएगा।
6. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है, अतएव नियुक्ति की शर्तों के अनुसार किसी भी समय आवेदक की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।
7. यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य के लिए है, अतएव चयनित उम्मीदवार को रिक्तियों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले में पदस्थापना दी जावेगी।
8. जाति के समर्थन में उम्मीदवार को शासन के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। नियुक्ति होने पर अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग की उच्च स्तरीय छानबीन समिति से सत्यापित जाति प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. अभ्यार्थी द्वारा आवेदन की तिथि को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसका प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना है।
10. शासकीय/अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
11. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के दौरान रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
12. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवार को कोई भी सूचना नहीं दी जावेगी तथा निर्धारित आवेदन प्रारूप अनुसार ही आवेदन मान्य किये जावेंगे।
13. किसी भी वर्ग के पदों की संभावित रिक्तियों की संख्या में स्थिति के अनुसार कमी या वृद्धि हो सकती है।
14. जन्मतिथि के प्रमाणीकरण हेतु हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र की राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित छायाप्रति काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा।
15. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेंगे।
16. प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच पश्चात् अहंताधारी अभ्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा हेतु एडमिट कार्ड डाक के पते पर भेजा जावेगा।
17. अभ्यार्थी द्वारा उपरोक्तानुसार रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन की तिथि को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर समस्त प्रमाण-पत्र (अंकसूची) प्राप्त कर लिया गया हो।
18. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अहंताओं एवं शर्तों को पूरा करते हैं, अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अहंता की जांच स्वयं कर ले और अहंता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। काउंसिलिंग में समिलित किये जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है, चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी।

## 11. परिवीक्षा –

- (1)(क) सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।
- (ख) यदि कार्य असंतोषजनक पाया जाता है तो परीक्षा की कालावधि में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अधिकतम 1 वर्ष तक की कालावधि के लिए वृद्धि की जा सकेगी।

(ग) परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ायी गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय हो कि किसी विशेष अभ्यार्थी के उपयुक्त कर्मचारी बनने की संभावना नहीं है तो ऐसे परीक्षाधीन की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

12. आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के ज्ञापन क्रमांक एफ 13–14 / 2009 / आ.प्र. / 1 / 3 दिनांक 29.11.2012 में दिये गये निर्देशानुसार अजा वर्ग के लिये 12% अजजा 32% एवं अपिव 14% रखा गया है। राज्य स्तरीय पदों पर की जाने वाली नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक रिट पिटी. (सी) क्रमांक 591 / 2012, रिट पिटी. / सी क्रमांक 592 / 2012, रिट पिटी. (सी) क्रमांक 593 / 2012 तथा रिट पिटी. (सी) क्रमांक 594 / 2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगी एवं माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय अनुसार विज्ञापित किये गये पदों की वर्गवार पदों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।”

नोट – भाग—ब परीक्षा संचालन सम्बंधी व्यापम का नियम तथा भाग—स परीक्षा पाठ्यक्रम, व्यापम की वेबसाइट [cgvyapam.choice.gov.in](http://cgvyapam.choice.gov.in) पर देखा जा सकता है।

प्रमुख अभियंता  
जल संसाधन विभाग  
छत्तीसगढ़, रायपुर